



वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

सं.सीपज़-सेज़/श्रम/505/2015-16/पार्ट-II 110619 दिनांक: 30/8/2024

परिपत्र सं. श्रम/22/2024

विकास आयुक्त, सेज़ को मजदूरी अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सेज़ों में स्थित यूनिटों के संबंध में उन प लागू किए जाने तथा उनका उल्लंघन होने पर आवश्यक कारवाई करने का अधिकार इस कार्यालय को है। विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 16.10.2020 के कार्यालय आदेश संख्या 199/2020 द्वारा उप विकास को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। आज की तारीख में सीपज़ (इलेक्ट्रॉनिक्स) तथा जेम तथा ज्वेलरी सेक्टरों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों / कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है: (दिनांक 01/07/2024 से दिनांक 31/12/2024 तक की अवधि का संशोधित विशेष भत्ता).

1. जेम तथा ज्वेलरी यूनिट्स (अवशिष्ट उद्योग):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 12605	रु. 11445	रु. 10350
विशेष भत्ता	रु. 2750	रु. 2750	रु. 2750
कुल	रु. 15355	रु. 14195	रु. 13100
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 768	रु. 710	रु. 655
न्यूनतम मजदूरी	रु. 16123	रु. 14905	रु. 13755

2. दुकाने तथा प्रतिष्ठान:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 11632	रु. 10856	रु. 10021
विशेष भत्ता	रु. 3250	रु. 3250	रु. 3250
कुल	रु. 14882	रु. 14106	रु. 13271
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 744	रु. 705	रु. 664
न्यूनतम मजदूरी	रु. 15626	रु. 14811	रु. 13935

3.सीपज़(इलेट्रोनिक्स):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 6300	रु. 5800	रु. 5300
विशेष भत्ता	रु. 6378	रु. 6378	रु. 6378
कुल	रु. 12678	रु. 12178	रु. 11678
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 633	रु. 609	रु. 584
न्यूनतम मजदूरी	रु. 13311	रु. 12787	रु. 12262

श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष- 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता संशोधित किया जाता है।

यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। जोन प्रसाशन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्ट्रों की फोटो कापीया मंगवाकर रिकार्डों तथा रजिस्ट्रों की जांच नियमित रूप से करता रहेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

Signed by

Palash Shankar

Date: 30-08-2024 15:09:29

(पलेश शंकर)

सहायक विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़.

Email:

palash.shankar@gov.in

Tel. :022-28294790

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीएन विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.



Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Development Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dsseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

F.NO. SEEPZ SEZ/LAB/505/2015 -16/Part II/ Dated: 30/08/2024

10619

CIRCULAR NO./LAB/22/2024

In accordance with the powers delegated to the Development Commissioner of SEZ by the Govt. of Maharashtra, under the Minimum Wages Act, 1948 the jurisdiction in respect of units in SEZs for implementation as well as for taking necessary action for violation, if any, are with this office. Further this power has been delegated to Deputy Development Commissioner by Development Commissioner vide Office Order No. 199/200 dated 16/10/2020. As on date, the minimum wages applicable to the un-skilled, semi-skilled and skilled workers/employees in the SEEPZ (Electronics) and Gems and Jewellery Sectors are mentioned below:- (Special Allowance revised for the period of 01/07/2024 to 31/12/2024)

1. Gem & Jewellery Units (Residuary Employment):-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wage	Rs. 12605	Rs. 11445	Rs. 10350
Special Allowance	Rs. 2750	Rs. 2750	Rs. 2750
Total	Rs. 15355	Rs. 14195	Rs. 13100
HRA (5%)	Rs. 768	Rs. 710	Rs. 655
Minimum Wages	Rs. 16123	Rs. 14905	Rs. 13755

2. Shops and Establishment:-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 11632	Rs. 10856	Rs. 10021
Special Allowance	Rs. 3250	Rs. 3250	Rs. 3250
Total	Rs. 14882	Rs. 14106	Rs. 13271
HRA (5%)	Rs. 744	Rs. 705	Rs. 664
Minimum Wages	Rs. 15626	Rs. 14811	Rs. 13935

3. SEEPZ (Electronics) :-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 6300	Rs. 5800	Rs. 5300
Special Allowance	Rs. 6378	Rs. 6378	Rs. 6378
Total	Rs. 12678	Rs. 12178	Rs. 11678
HRA (5%)	Rs. 633	Rs. 609	Rs. 584
Minimum Wages	Rs. 13311	Rs. 12787	Rs. 12262

The Special Allowance is revised twice in a year i.e. with effect from 1st January and 1st July by the appropriate authority in the Labour Department of the Govt. of Maharashtra.

The units are directed to ensure that no employee is deprived of the minimum wages at any point of time. The Zone Administration will be regularly verifying the records and registers to ensure payment of minimum wages by employers, by obtaining photo copies of payment register for specified period.

This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

Signed by

Palash Shankar

Date: 30.08.2024 15:08:43

(Palash Shankar)

Assistant Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ.

Email: palash.shankar@gov.in

Tel. :022-28294790